बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

।। कार्यालय आदेश ।।

संचिका सं0- 5/स0क0विधि-06/2016- 1541 पटना, दिनांक- 13.3.18

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका- 2.4(b) में निहित प्रावधानों के तहत आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार/सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार/ समाज कल्याण निदेशालय, बिहार के स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है-

1)	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	अध्यक्ष।
2)	विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य।
3)	अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य।
4)	संयुक्त सचिव (स्थापना) समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य।
5)	न्यायालय मामलों की प्रभारी पदा0, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य।
6)	निदेशालय के विषय के प्रभारी पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव।

2. यह समिति प्रत्येक माह मुकदमों की संख्या की प्रभावी समीक्षा कर निर्णय लेगी, जिसमें बृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलू नहीं हो। साथ ही महाधिवक्ता बिहार के परामर्श के आलोक में इस समिति का क्षेत्राधिकार इस हदतक संसीमित किया जाता है कि ये समितियाँ वैसे मामलों जिनमें बिहार CCA Rules 2005 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन कर विधिवत आदेश सक्षम स्तर से दिया जा चुका है, के मामालों में अपने स्तर से कोई आदेश पारित नहीं करेगी अपितु आवेदकों/शिकायतकर्ताओं को CCA Rules 2005 के प्रावधानों के तहत Appeal/Review/Revision हेतु सक्षम स्तर पर जाने का परामर्श देना सुनिश्चित करेगी।

3. इसके पूर्व निर्गत सभी आदेशों को यथा इस हद तक संशोधित किया जाता है।

4. इसमें प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

12.3.18

(सुजाता चेलाना)
सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- 5/स0क0विधि-06/2016- 1541 पटना-15, दिनांक- 13.3.18

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, "सक्षम", बिहार, पटना एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार को (विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.18

सरकार के अपर सचिव।

Order6

ज्ञापांक:- 5/स0क0विधि-06/2016- 1541 पटना-15, दिनांक- 13.3.18

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.18

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 5/स0क0विधि-06/2016- 1541 पटना-15, दिनांक- 13.3.18

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.18

सरकार के अपर सचिव।

Order7